



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 25/2025

दायर दिनांक 24.04.2025

अनवान

01. ताराचन्द पिता बलदेवराम जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी चान्दजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

बनामवादी

- नारायण पिता लक्ष्मण जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी गुल का खेड़ा (उन्द्रो का खेड़ा) तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
- गोपाल पिता लक्ष्मण जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी गुल का खेड़ा (उन्द्रो का खेड़ा) तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) **मृतक**
2/1 देवराज पुत्र स्व0 गोपाल जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी गुल का खेड़ा (उन्द्रो का खेड़ा) तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2/2 भोचू पुत्र स्व0 गोपाल जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी गुलजी का खेड़ा (उन्द्रो का खेड़ा) हाल मुकाम माल का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2/3 मोड़ी पुत्री स्व0 गोपाल पत्नि कैलाश जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी गुलजी का खेड़ा (उन्द्रो का खेड़ा) हाल मुकाम रूपतलाई (महुआ) तहसील काछोला जिला भीलवाड़ा (राज0)
- नानी बेवा लक्ष्मण जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी गुल का खेड़ा (उन्द्रो का खेड़ा) तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) (नाम विलोपित)
- भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपस्थित :- 01. श्री मुकेश कुमार धाकड़ - विद्वान अधिवक्ता वादी

.....प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काशतकारी अधिनियम



—: निर्णय :-

दिनांक :- 13 / 11 / 2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काशतकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 12.08.2025 को प्राथमिक छिद्री इस आशय की जारी हुयी कि मौजा ग्राम उन्द्रो का खेड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा तहसील बिजौलिया स्थित आराजी नम्बर 94/1 रकबा 5 बीघा 5 बिसवां भूमि में वादी का 4001/21000 वे हिस्से की भूमि का मौके पर जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी

बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

पेज संख्या 02

विभाजन किए जाने के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिजौलिया से लिया गया। तहसीलदार बिजौलिया ने अपने पत्रांक/राजस्व/2025/1663 दिनांक 10.10.2025 से प्राथमिक डिक्री की पालना, मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादी को स्वीकार है।

विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर वादीगण की उपस्थिति में तैयार करना भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलिया कला ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
01	ताराचन्द पुत्र बलदेवराम गुर्जर सा. देह खातेदार	उन्द्रो का खेड़ा	94/1/1	0.1619
	योग		खसरा 01	0.1619
02	दुर्गालाल 7187/67996 देवराज 7187/67996 मंजूदेवी 7187/67996 पिता गोपाल प्रेम पत्नी स्व. गोपाल 7187/67996 नानी पत्नी स्व. लक्ष्मण 2625/16999 नाराण पुत्र लक्ष्मण 7187/16999 गुर्जर सा. देह रहन BRKGH शाखा श्यामपुरा हिस्सा दुर्गालाल देवराज मंजूदेवी प्रेम व नाराण का	उन्द्रो का खेड़ा	94/1/2	0.6879
	योग		खसरा 01	0.6879

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री मूर्तिब की जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

3
(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक 13 / 11 / 2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



3
(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां



राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 25/2025

दायर दिनांक 24.04.2025

अनवान

01. ताराचन्द पिता बलदेवराम जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी चान्दजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... डिक्रीदार

बनाम

1. नारायण पिता लक्ष्मण जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी गुल का खेड़ा (उन्द्रो का खेड़ा) तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. गोपाल पिता लक्ष्मण जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी गुल का खेड़ा (उन्द्रो का खेड़ा) तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) **मृतक**
 - 2/1 देवराज पुत्र स्व0 गोपाल जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी गुलजी का खेड़ा (उन्द्रो का खेड़ा) तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
 - 2/2 भोलू पुत्र स्व0 गोपाल जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी गुलजी का खेड़ा (उन्द्रो का खेड़ा) हाल मुकाम माल का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
 - 2/3 मोड़ी पुत्री स्व0 गोपाल पत्नि कैलाश जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी गुलजी का खेड़ा (उन्द्रो का खेड़ा) हाल मुकाम रूपतलाई (महुआ) तहसील काछोला जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. नानी बेवा लक्ष्मण जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी गुल का खेड़ा (उन्द्रो का खेड़ा) तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) (नाम विलोपित)
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....मदयूनान

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 13 / 11 / 2025

डिक्री दिनांक : 13 / 11 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियां बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी श्री मुकेश कुमार धाकड़ एकपक्षीय को हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि :- निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम ग्राम उन्द्रो का खेड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा के राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के अर्थ में दिये जाते हैं।



लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
01	ताराचन्द पुत्र बलदेवराज गुर्जर सा. देह खातेदार	उन्द्रो का खेड़ा	94/1/1	0.1619
	योग			
02	दुर्गालाल 7187/67996 देवराज 7187/67996 मंजूदेवी 7187/67996 पिता गोपाल प्रेम पत्नी स्व. गोपाल 7187/67996 नानी पत्नी स्व. लक्ष्मण 2625/16999 नाराण पुत्र लक्ष्मण 7187/16999 गुर्जर सा. देह रहन BRKGH शाखा श्यामपुरा हिस्सा दुर्गालाल देवराज मंजूदेवी प्रेम व नाराण का योग	उन्द्रो का खेड़ा	94/1/2	0.6879
			खसरा 01	0.1619
			खसरा 01	0.6879

उक्तानुसार डिक्री मूर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

नीज Nil मुबलिंग Nil बाबत्
 खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nil फीसदी सालाना आज की
 तिथि से तारीख वसूल याबी तक Nil का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13. माह 11 वर्ष 2025 को जारी
 किया गया।

नोट:- प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक
 13/11/2025 को मुर्तिब की गई।



3
 (अजीत सिंह राठौड़)
 उपखण्ड अधिकारी
 बिक्रौलियाँ

रु.	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजी दया	-		स्टाम्प अरजी दया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
मेहनताना वकील ()	-		मेहनताना वकील ()	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीशनर	-		फीस कमीशनर	-	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	-		बाबत् इजराय हुक्मनामा	-	
मुनफरिक	-		मुनफरिक	-	
मीजान			मीजान		



3
 (अजीत सिंह राठौड़)
 उपखण्ड अधिकारी
 बिक्रौलियाँ